

पंजावली
हुई

हुए या कार्यवाही या इतिहास का

28⁷/₂₂ पंजावली पेरा हुई, अधिकांशतः द्वारा
न्यायिक कार्य करा कर रखने
से पंजावली दिनांक 4⁸/₂₂ को पेरा हो।

4-82 पंजावली पेरा हुई उभयपक्ष उपस्थित, वादीवादी
अधिवक्ता ने संशोधित दस्तावेज पेरा किया किसे शाप
पठ किया गया। पंजावली में एशोभित दरिद्र
की प्रति प्रतिवादी अधिवक्ता को दिलाने हेतु नियत दिनांक
26.8.22 को पेरा हो।

26⁸/₂₂ पंजावली पेरा हुई, उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित
प्रकरण में दिनांक 23.5.13 को ही अन्तरिम रूपान
पर बहस सुन कर आदेश दिया जा चुका है। यानि
कि झल वाद पत्र के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा
कॉर्फम की जाती है। पंजावली फैसल शुमार टोकर
अम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा